



AFR



2026:AH:68290

Reserved : March 20, 2026

Delivered : April 01, 2026

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

WRIT - B No. - 3987 of 2025

Bachcha Lal and 5 others

.....Petitioner(s)

Versus

State of Uttar Pradesh and 20 others

.....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s) : Sr. Advocate, Vishakha Pande,
Yashaswin Venugopal Bajpai
Counsel for Respondent(s) : C.S.C., Mahesh Kumar Dubey,
Pradeep Kumar Rai, Prajyot
Rai, Sanjay Kumar Singh,
Surendra Prasad Singh

COURT NO. - 32

HON'BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.

1. This case is arising out of objections filed u/s 9A (2) of U.P. Consolidation of Holdings Act, 1953. The objections filed by contesting respondents were allowed by an order dated 01.05.2010 passed by Consolidation Officer to the extent that name of predecessors of present petitioners were expunged

despite being having long standing revenue entries on a ground that entries were made without any factual or legal basis.

2. A challenge on behalf of predecessors of petitioners to above referred order dated 01.05.2010 passed by Consolidation Officer, Pindara, Varanasi before Settlement Officer of Consolidation (SOC) Varanasi was remained unsuccessful as well as subsequent challenge before Deputy Director of Consolidation (DDC) also remained unsuccessful. The appeal was rejected vide an order dated 23.04.2016 and revision was dismissed vide an order dated 18.07.2025/27.08.2025.

3. Aforesaid orders dated 01.05.2010, 23.04.2016 and 18.07.2025/27.08.2025 are challenged in this writ petition.

4. Learned counsel for rival parties are in agreement that present writ petition can be decided without exchange of pleadings as all relevant documents are on record of present writ petition as well as legal issues are involved.

5. Sri Rakesh Pande, learned Senior Advocate assisted by Sri Y.V. Bajpai, learned counsel for petitioners has referred averments made in this writ petition specifically that Ganga s/o Shiv Dayal was recorded as sole tenure holder in 1291-F relating to Mahal Jwala Prasad (plot nos. 252, 485, 495, 498) and Mahal Jasoda Bibi (plot nos. 236, 238, 242, 477). Ganga continued to be recorded on referred plots as sole tenure holder till 1307-F Khatauni and thereafter in 1309-F Khatauni. Ganga was recorded on 210, 478, 235 whereas petitioners' predecessor (Shiv Baran) was recorded as 236/2, 247, 250, 471/1 while Sumer was recorded as 236/3, 242, 252, 492, 498/3. Subsequently, successors of Ganga, Shiv Baran and

Sumer were recorded in 1334-F, 1356-F and 1378-F as well as basic year of Khatauni of 1388-F. Present petitioners represent the line of Shiv Baran.

6. By referring above details, learned Senior Advocate has submitted that name of petitioners' predecessors and their successors including petitioners were recorded at least from 1309-F to 1388-F i.e. for a very long period and admittedly, during said period, the respondents have never taken any step to get expunged the name of predecessors of petitioners, therefore, there would be a presumption that long revenue entries were genuine, however, without considering this aspect, all three Authorities under U.P.C.H. Act have passed orders against petitioners and allowed the objections filed by respondents' predecessors.

7. Learned Senior Advocate has also submitted that Ganga was common ancestor of rival parties, however, *Kursinama* submitted by petitioners' predecessors was wrongly rejected by the Consolidation Officer but substantially accepted by the Settlement Officer of Consolidation. He also submitted that a finding that name of Sumer was for the first time recorded in 1334-F was contrary to record, since he was recorded for the first time in 1309-F and for that he referred khatauni of relevant fasli year.

8. Per contra, Sri Pradeep Kumar Rai, learned counsel for contesting respondents has submitted that only on a ground that objections were raised for the first time when consolidation proceedings were commenced would not make the entries in favour of predecessors of petitioners genuine, if

there was no legal or factual basis for such entries as well as claim of common predecessors was also disputed.

9. Learned counsel also referred various part of all three impugned orders that since concurrent findings were based on material and after considering rival submissions, therefore, except being perverse in nature, writ court may not interfere it and that petitioners have not able to show any perversity.

10. In support of his submissions, learned counsel for respondents has placed reliance on judgments of this Court in **Ram Prasad Singh vs. Deputy Director of Consolidation Camp Ballia and others, 1983 SCC Online All 643 ; Sri Ram and others vs. Deputy Director of Consolidation, Allahabad, 2011 0 Supreme (All) 709** as well as judgment of Supreme Court in **Dharmraj and others vs. Chhitan and others, 2006 0 Supreme (SC) 1053** that the land in suit was settled by original zamindar and in order to prove co-tenancy, there must be some more substantive evidence, above than referred revenue entries of co-tenancy, however, predecessors of petitioners as well as petitioners remained failed to bring on record any such evidence or documents.

11. Heard learned counsel for rival parties and perused the records.

12. Before advertng to rival submissions, it would be appropriate if relevant part of all three impugned orders be quoted below :-

Order Date :- 01.05.2010 passed by Consolidation Officer

252, 485, 495, 498 गंगा वल्द शिवदयाल सा० वन्देपुर के नाम अंकित है। इससे यह प्रमाणित है कि बन्दोबस्त 1291 फ० व उसके बाद वर्षों में रामनरायन आदि व आपत्तिकर्तागण का नाम ही तनहा दर्ज था प्रथम बार 1334 फ० में गंगा के लड़के मंगरू बनाम गंगा के साथ रामदेव वल्द शिवचरन व परताप वल्द जलतन पेसरान सुमेर का इन्द्राज हुआ है। 1334 फ० के इस इन्द्राज का आधार क्या है। यह स्पष्ट नहीं है। किशोरी ने अपने बयान में जिरह में दि० 20.8.97 इ० को यह कहा है कि रामनरायन, श्यामनरायन के खानदान का कुर्सीनामा बता सकता हूँ रामनरायन, श्यामनरायन में सबसे बड़े मुरखा गंगा थे। उसके आगे कटा है जो आराजी नेजाई शिवदयाल उर्फ रामदयाल के जमाने की है उसमें आगे यह भी कहा है कि रामनरायन आदि के पूर्वजों से हमारे पूर्वजों के सीरदारी लगी है। शिकमी/सीरदारी लगी चाहे शिकमी लगी हो चाहे सीरदारी लगी हो। गंगा सुमेर से शिकमी जोतने से दिया आगे यह भी कहा कि मेरा व रामनरायन आदि का कोई हक पुरखा नहीं रहा। इस प्रकार किशोरी ने आ०वि० को रामनरायन आदि के पूर्वजों से शिकमी सीरदारी होना कहा है और उसने यह भी अपने बयान में जिरह में स्पष्ट कहा कि उनके व रामनरायन के खानदान का कोई एक पुरखा नहीं रहा। आखिर इन दोनों खानदान का कोई एक भी पूर्वज नहीं रहा है। किशोरी ने अपने बयान के जिरह दि० 30.10.98 में यह भी कहा है कि शिवदयाल को उपरोक्त भी उन्हें रामदयाल भी कहते हैं। किन्तु अपने जवाबदेही दि० 19.10.93 में उसके शिवदयाल व रामदयाल को अलग 2 व्यक्ति बताया है। इससे स्पष्ट है कि किशोरी आदि द्वारा अपने जवाबदेही में दिया गया कुर्सीनामे के विरुद्ध उसका स्वयं का बयान है किशोरी आदि व छोटे लाल आदि द्वारा कोई ऐसा सदस्य नहीं दिया गया है जिससे यह साबित हो कि रामदयाल व शिवदयाल व नन्हकूँ आपस में सगे भाई थे। और उनके पिता रामजियावन थे। बल्कि इसके विपरीत किशोरी के उपरोक्त बयानों से रामनरायन आदि व किशोरी आदि के परिवारों की असम्बद्धता साबित होती है। जहां तक किशोरी आदि द्वारा रामनरायन आदि के पूर्वजों मंगरू द्वारा सुमेर आदि जो शिकमी पर जमीन दिये जाये का तथ्य किशोरी आदि द्वारा रखा गया। और इसके जरिये 1334 फ० से इन्द्राज का औचित्य का तर्क दिया गया है। वह स्वयं में विरोधाभासी व गलत है। यदि किशोरी आदि से पूर्वज सुमेर द्वारा मंगरू से कोई भूमि शिकमी पर ली गयी थी तो वह 1334 फ० में सहखातेदार कैसे दर्ज हो सकते हैं। इस प्रकार मेरी राय में किशोरी आदि द्वारा साक्ष्यों से 1334 फ० के इन्द्राज का औचित्य प्रमाणित करने में पूर्णतया विफल रहे। जहां तक छोटे लाल आदि द्वारा दिये जाने वाले साक्ष्यों का प्रश्न है। छोटे लाल ने अपने बयान में यह कहा है कि विवादित दोनों खातों की भूमि पैतृक है। किन्तु उसके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि जिससे स्पष्ट हो कि उसके द्वारा दिये गये कुर्सीनामे में सबसे बड़े पूर्वज रामजियावन के जमाने की भूमि यह है। बन्दोबस्त 1291 फ० में भी यह भूमि गंगा वल्द शिवदयाल के नाम से दर्ज है। जो हरगिज पक्षों में सामान्य पूर्वज नहीं है। ऐसी सूरत में कोई भी साक्ष्य इस तथ्य का छोटे लाल आदि द्वारा दाखिल नहीं किया गया है। जिससे साबित हो कि आ० नि० पैतृक है। 1334 फ० में प्रथम बारी किस प्रकार उसके पूर्वजों के नाम दर्ज हुआ यह सवाल भी है। यद्यपि यह इन्द्राज पुराना है किन्तु कोई की इन्द्राज आधारहीन है तो वह जितना भी पुराना क्यों नहीं हो। उससे किसी भी व्यक्ति के पक्ष में स्वत्व का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है। इस सम्बंध में मेरे समक्ष :

- (1) 1961 आर.डी. पेज नं.- 5
- (2) 1951 आर.डी. पेज नं.- 72
- (3) 1952 आर.डी. पेज नं.- 125
- (4) 1986 ए.एल.आर. पेज- 77 (आर)
- (5) 1986 ए.डब्ल्यू.सी. पेज- 709
- (6) 2008 आर.डी. पेज- 715

पर प्रकाशित न्याय निर्णयों का ध्यान आकृष्ट कराया गया। और ध्यान आकृष्ट कराया गया जो यह विधिक व्यवस्था दी हुयी है कि आधारहीन व गलत इन्द्राज कितना पुराना क्यों न हो किसी भी व्यक्ति को सम्पत्ति में स्वत्व नहीं हो सकता है। और ऐसा इन्द्राज "स्टोपेल क्रियेट" नहीं करता है। बन्दोबस्त 1291 फ० व 1307 फ० के इन्द्राज से यह पूर्णतया प्रमाणित होता है कि सम्पत्ति तनहा राम

नरायन आदि से पूर्वजों के नाम पाई गयी है तथा 1334 फसली का इन्द्राज आधारहीन है। इस प्रकार मेरी राय में आपत्तिकर्तागण राम नरायन आदि अपने केस को पूर्णतया साक्ष्यों से साबित किये हैं। आपत्ति रामनरायन आदि बावत खाता सं० 78 व 79 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि आधार वर्ष खाता सं० 78 व 79 में लालता पुत्र भग्गू मृतक लावल्द के वारिस लक्ष्मी उर्फ लक्षिमन पुत्र भग्गू (सगे भाई) दर्ज हो। रामजियावन मृतक के वारिस छोटेलाल पुत्र रामजियावन व शान्ती देवी बेवा रामजियावन अंकित हो। रामचरन मृतक के वारिस राजेन्द्र, शम्भू पुत्रगण स्व० रामचरन व दुलरा बेवा स्व० रामचरन अंकित हो। हरिचरन मृतक के वारिस महेन्द्र, शैलेन्द्र, नान्हकू पुत्रगण स्व० हरीचरन व प्यारीदेवी बेवा स्व० हरीचरन अंकित हो। खाता संख्या 78 व 79 रामनरायन, श्यामनरायन पुत्रगण सुखदेव व लक्ष्मी, लालता पुत्रगण भग्गू के नाम अंकित है। शेष अन्य खातेदारान व उनके वारिसान का नाम खारिज हो।

खाता-78 व 79 में गाटा संख्या-238, 247, 250, 477, 252 व 498 का विभाजन रामनरायन 1/3, श्याम नरायन 1/3 व लक्ष्मी 1/3 शेष नम्बरान का विभाजन रामनरायन 1/7, श्यामनरायन ¼, लक्ष्मी ¼ व लालता ¼ अंश पर हो।

खाता-79 का विभाजन रामनरायन 1/3, श्याम नरायन 1/3, लक्ष्मी 1/6 व लालता 1/6 अंश दर्ज हो। शेष विवाद व आपत्ति खारिज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफ्तर हो।"

"Order date :- 23.04.2016 passed by Settlement Officer of Consolidation

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि 1291 फसली के खाता सं०-15 व 21 में गंगा पुत्र शिवदयाल का नाम कुल 06 गाटा पर शरहमुअइन काश्तकार के रूप में अंकित है। यह गाटे आधार वर्ष के खाता सं०-78 में अंकित है, जबकि 1291 फसली के खाता सं०-60 में शिवदयाल का नाम बतौर दखीलकार अंकित है। यह गाटे आधार वर्ष के खाता सं०-79 में अंकित है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार 1334 फसली में पहली बार अपीलान्ट का नाम अंकित हुआ। उसके अनुसार आगरा काश्तकारी अधिनियम 1926 के धारा-16 की उप धारा-5 के अनुसार पंजीकृत अभिलेख के द्वारा ही दखीलकारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। अपीलकर्ता द्वारा कोई पंजीकृत अभिलेख नहीं प्रदान किया गया है। किशोरी ने बयान में कहा है कि शिकमी से हमारा नाम आया। उनके अनुसार 1309 फ० में शिवबरन कुर्मी का नाम खाता सं०-53/31 में तथा सुमेर कुर्मी का नाम खाता सं०-52/31 में अंकित है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार यदि उपर्युक्त व्यक्ति हैं तो क्या सहखातेदार सब-टेनेन्ट हो सकता है?

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस, अवर न्यायालय की पत्रावली तथा विधि व्यवस्था का भली-भाँति अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने अपने अपील में जो कुर्सीनामा दिया है वह पूर्णतया सही है। वस्तुतः प्रतिवादी के रामनरायन ने अपने बयान में भी वही कुर्सीनामा दिया है। अतएव कुर्सीनामे के सम्बन्ध में कोई विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः रामनरायन आदि के आपत्ति का मूल आधार यह है कि आराजी नेजाई गंगा पुत्र शिवदयाल की पैदाकरदगी है। प्रतिवादीगणों यानी अपीलकर्तागण का विवादित आराजी पर त्रुटिपूर्ण ढंग से नाम अंकित हुआ है। अतएव निरस्त हो। रामनरायन ने अपने बयान व जिरह में बार-बार स्वीकार किया है कि रामजियावन के तीन लडके- रामदयाल, शिवदयाल, नन्हकू हैं। अतएव इन्हीं तीनों के साथ के हैं। दूसरे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपील में कहा गया है कि मौरूसी व संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में किसी एक साख के व्यक्ति का नाम कर्ता-खानदान की हैसियत से दर्ज हो जाने से अन्य शाखा के लोगों का सहखातेदारी कतई समाप्त नहीं हो जाता है, जबकि किशोरी ने अन्य में बयान तहरीरी तथा अपने बयान में कहा है कि परिवार में बंटवारा लगभग सौ वर्ष पूर्व हो गया है। इस दृष्टि से विभाजन 1307 फसली व 1291 फसली के बीच ही हो गया है। यह बात कागजी इन्द्राज से भी साबित है। कदाचित इसीलिये 51/31 व 52/31 में

आपत्तिकर्तागण के मुरिस का नाम भाग दो में अंकित है। यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि किशोरी ने अपने बयान में कहा है कि हमारे पूर्वजों ने शिकमी/सीरदारी से आराजी प्राप्त की, परन्तु इस बाबत कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं दिया है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन सही है कि सह-काश्तकार शिकमी नहीं हो सकता। तीसरे पत्रावली पर जो साक्ष्य कागजी उपलब्ध है उसमें 129 फस्ली का इन्द्राज खाता सं०-15 व 21 गंगा वल्द शिवदयाल का नाम शरहमुअइयन काश्तकार के रूप में अंकित है, जो वर्तमान में आधार वर्ष के खाता सं०-78 में अंकित है, जबकि 1291 फस्ली के खाता सं०-60 में गंगा का नाम गाटा सं०-210 व 478 पर बतौर दखीलकार अंकित है। जो कि आधार वर्ष के खाता सं०-79 में अंकित है। अपीलकर्तागण के साथ का नाम पहली बार 1334 फस्ली में अंकित हुआ वह भी बकाशत के साथ जैसा कि अपील के पैरा-6 में प्रदर्शित किया गया है। इसी को आधार बनाकर कहा गया है कि आगरा काश्तकारी अधिनियम 1926 लागू होने पर 1334 फस्ली के इन्द्राज सावधानी पूर्वक तैयार किये गये जो आधार वर्ष तक बदस्तूर है। अतएव इतनी लम्बी अवधि के इन्द्राज को निरस्त नहीं किया जा सकता। अपीलकर्ता द्वारा आर०डी० 2011 पृष्ठ-89 पर प्रदत्त व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जबकि प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा 2015 आर०डी० 128 पृष्ठ-37 पर प्रदत्त व्यवस्था का हवाला दिया गया है। तदनुसार राजस्व प्रविष्टि उस व्यक्ति के वास्तविक भौमिक अधिकार का निर्णायक प्रमाण नहीं है, जिसका नाम उसमें दर्ज किया गया है। इसी प्रकार 1961 आर०डी० पृष्ठ-5 की व्यवस्था का उल्लेख करते हुये कहा गया है कि बन्दोबस्ती इन्द्राज को भी खण्डित किया जा सकता है, साथ ही 1986 ए०एल०आर० पेज-77 की व्यवस्था दी गयी है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि शरहमुअइयन का रिसेटेलमेन्ट नहीं हो सकता, क्योंकि शरहमुअइयन की भूमि में जमींदार को कोई अधिकार नहीं था। यह सही भी है कि बनारस में 1975 में स्थायी बन्दोबस्त लागू करके लगान की दर स्थायी कर दी गयी। इस प्रकार से शरहमुअइयन काश्तकारी यानी फिक्स रेट टेनेन्ट का अभ्युदय हुआ। इससे स्पष्ट है कि शरहमुअइयन काश्तकारी यानी फिक्स रेट टेनेन्ट की जा सकती थी। जहाँ तक दखीलकारी भूमि का प्रश्न है इसमें आगरा काश्तकारी अधिनियम की धारा-17(5) के अनुसार पंजीकृत विलेख के जरिये ही कोई टेनेन्सी की जा सकती है, परन्तु अपीलान्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है। उक्त से स्पष्ट है कि 1334 फस्ली में अपीलकर्तागण के साथ का नाम विधि विरुद्ध तरीके से आया जो आधार वर्ष तक कायम रहा। 1986 ए०एल०आर० पृष्ठ-77 की व्यवस्था इस बाद पर पूर्णतया लागू होती है। तदनुसार दीर्घकालीन इन्द्राज का यदि आधार गलत है तो उसको निरस्त किया जा सकता है।

संक्षेप में यह सही है कि आधार वर्ष का इन्द्राज लम्बे समय से कायम, परन्तु उसका आधार त्रुटिपूर्ण है। अपीलकर्तागण ने संयुक्त परिवार/कर्ता-खानदान को आधार बनाकर अपना प्रतिवाद नहीं किया, बल्कि शिकमी/सीरदारी को आधार बनाया व आपसी बंटवारा को 100 वर्ष पूर्व होना स्वीकार किया है। ऐसी दशा में यद्यपि कि च०अ० ने विवेचन में कुछ त्रुटि की है। तथापि निष्कर्ष सही निष्पादित किया है। उपरोक्तानुसार दोनों अपीलें निरस्त होने योग्य हैं।”

“Order date :- 18.07.2025 passed by Deputy Director of Consolidation

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना तथा अवर न्यायालयों की पत्रावली का अवलोकन किया। चकबन्दी अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 01.05.2010 के द्वारा आधार वर्ष खाता सं० - 78 व 79 से लक्ष्मी, लालता पुत्रगण भगू व रामनरायन, श्यामनरायान पुत्रगण सुखदेव को छोड़कर अन्य खातेदारों का नाम खारिज कर दिया था, जिसके विरुद्ध दाखिल अपीलें राजेन्द्र प्रसाद आदि बनाम बच्चा लाल आदि व बच्चा लाल आदि बनाम ... आदि अन्तर्गत धारा-11(1) जो०च०अधि० में पारित निर्णय दिनांक 23.04.2016 के जरिये उपरोक्त दोनों अपीलें निरस्त कर दी गयी तथा सरकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.05.2010 को पुष्ट कर दिया गया।

..... के निर्णय दिनांक 01.05.2010 के विरुद्ध अन्य प्रभावित पक्षकारों ने उपरोक्त दोनों अपीलें दाखिल की थी, मात्र किशोरी व बुझारत या बुझारत के लड़के लल्लन, रम्मन, गुदर द्वारा कोई अपील चकबन्दी अधिकारी के आदेश

के विरुद्ध दाखिल नहीं की गयी थी। बन्दोबस्त चकबन्दी के द्वारा दिनांक 23.04.2016 को निर्णय पारित किये जाने के उपरान्त उक्त निर्णय के विरुद्ध कोशोरी, बुझारत पुत्रगण परताप द्वारा 25.04.2016 को तजवीजसानी प्रस्तुत किया गया, जो दोनो पक्षों की सुनवाई उपरान्त बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के निर्णय दिनांक 03.04..... द्वारा निरस्त कर दिया गया है। किशोरी व लल्लन, रम्मन, गुद्धर पुत्रगण बुझारात द्वारा दाखिल निगरानी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के निर्णय दिनांक 23.04.2016 व तजवीजसानी प्रार्थना पत्र पर पारित निर्णय दिनांक 03.04.2017 व चकबन्दी अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.05...10 के विरुद्ध शपथ पत्र के साथ दाखिल किया गया है। इस प्रकार इस समय चकबन्दी अधिकारी द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध समस्त प्रभावित पक्षकारों द्वारा उपरोक्त चारों निगरानियां दाखिल की गयी हैं। बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.04.2016 में पक्षों के मध्य के कुर्सीनामा को अविवादित कहते हुए अंकित किया है, जिसमें पक्षकार के पूर्वजों में से रामदयाल, शिवदयाल व नन्हकू के पिता का नाम रामजियावन अंकित किया गया है। पत्रावली (चकबन्दी अधिकारी व बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी) पर निगरानीकर्तागण द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त आराजीजात रामजियावन, सामान्य पूर्वज के समय की है। पत्रावली में यद्यपि चकबन्दी अधिकारी ने गाटा सं०-3, 4, 5 शशि शेखर, ऋषिकान्त पटेल व परमदीप पुत्रगण स्व० छोटालाल के पिता-छोटालाल का बयान चकबन्दी अधिकारी के समक्ष हुआ है। छोटालाल ने अपने बयान में कुर्सीनामा की जानकारी कागजात के मुआयना कराने से कहा है तथा 1291 फ० में शिवदयाल का नाम अंकित होने व खतौनी 1247 फ० का मुआयना कराने पर उसमें रामदयाल के पिता रामजियावन का नाम अंकित होने का तथ्य कहा है, किन्तु चकबन्दी अधिकारी की पत्रावली में ऐसा कोई बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी की पत्रावली में 1247 फ० का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। पत्रावली पर खतौनी बन्दोबस्त 1291 फ० मुताबिक सन् 1883-84 फसली मौजा देलहना उपलब्ध है, जिसमें गंगा वल्द शिवदयाल कौम कुर्मी साकिन बमरोपुर का उल्लेख है। इसमें और कोई अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है इसलिये निगरानीकर्तागण का यह कथन कि सम्बन्धित आराजीजात रामजियावन के जमाने की है और उस पर शिवदयाल का नाम 1291 फ० में दर्ज था, यह तर्क पूर्णतया गलत है। 1291 फ० में गंगा वल्द शिवदयाल का नाम अंकित है, न कि शिवदयाल व रामजियावन का। चकबन्दी अधिकारी व बन्दोबस्त अधिकारी ने अपने निर्णय में के जरिये अविवादित सम्पत्ति को 1291 फ० के इन्द्राज के आधार पर गंगा वल्द शिवदयाल के वारिसान रामनरायन आदि का ही घोषित किया है तथा अन्य व्यक्तियों का नाम खाते से बिना किसी उचित कारण के व बिना किसी आधार के दर्ज किये जाने के कारण निगरानीकर्तागण के पूर्वज के नाम उनके अंश के मुताबिक अंकित है। 1309 फ० की खतौनी की नकल की छायाप्रति पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें शिकमी काश्तकार के कालम में खाता सं० 51/31 शिवबरन कुनवी व 52/31 सुमेर कुनवी के नाम दर्ज है, जिसमें शिकमी काश्तकार की अवधि दो साल व एक साल अंकित है। बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ने अपने निर्णय में इस विधिक व्यवस्था का उल्लेख किया है कि शिकमी काश्तकार कभी सह-खातेदार नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों की अलग-अलग स्थितियाँ होती हैं। 1309 फ० में हुए उपरोक्त अभिलेखीय इन्द्राज से दो तथ्य स्पष्ट हैं। जहाँ तक रामजियावन के वंशज संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य नहीं थे क्योंकि यदि वे संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होते तो वे एक ही खाते में सह-खातेदार दर्ज होते न कि मौरूसी काश्तकार व शिकमी काश्तकार का सम्बन्ध होता। उपरोक्त इन्द्राज से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि रामदयाल, शिवदयाल व नन्हकू के मध्य काश्तकार व शिकमी काश्तकार का सम्बन्ध होता। उपरोक्त इन्द्राज से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि गंगा का नाम कर्ता खानदान के रूप में अंकित था, यह तथ्य स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। विचारणीय प्रश्न यह है कि 1309 फ० में शिकमी काश्तकार के रूप में दर्ज व्यक्तियों के वंशजों को क्या मूल काश्तकार के साथ सहखातेदारी प्राप्त हो सकती है, इसका स्पष्ट उत्तर नहीं है। बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ने जो अपने निर्णय दिन ता० 23-04-2016 में उक्त विधिक स्थिति को स्वीकार किया है। निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आगरा टेनेन्सी एक्ट 1926 के लागू होने के कुछ पूर्व खानदान में अलगौझी हो गयी थी और उस अलगौझी के परिणामस्वरूप रि-सेटेलमेन्ट के आधार पर खतौनी

1334 फ० का इन्द्राज हुआ। इसका विरोध करते हुए विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ने इस सम्बन्ध में सही विवेचन किया है। वादग्रस्त आराजीजात में से ज्यादातर आराजीजात शरहमुअइयन आराजी हैं। ऐसी आराजीजात में जमींदार को रि-सेटेलमेन्ट करने का कोई अधिकार नहीं था। बनारस में 1795 ई० में (बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के निर्णय में 1975 टंकण की गलती से अंकित हो गया है) स्थायी बंदोबस्त लागू करके लगान की दर स्थायी कर दी गयी थी। ऐसी स्थिति में उक्त आराजीजात के बावत निगरानीकर्तागण का यह तर्क कि 1334 फ० के पूर्व रि-सेटेलमेन्ट हुआ था, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। एक निगरानीकर्ता किशोरी का बयान चकबन्दी अधिकारी न्यायालय में हुआ है, उसने अपने बयान में यह कहा है कि 1334 व 1309 फ० में गंगा ने सुमेर को शिकमी दिया था तथा किशोरी ने अपने मुख्य बयान में यह भी कहा है कि इस परिवार में बटवारा लगभग 100 वर्ष पूर्व हो गया है। इस दृष्टि से विभाजन 1307 फ० व 1291 फ० के बीच हो गया है, यह तथ्य बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ने सही अंकित किया है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या विवादित आराजीजात सामान्य पूर्वज के जमाने की है अथवा सामान्य पूर्वज के लडकों ने संयुक्त रूप से पैदा किया है, ऐसा होने की दशा में ही सहखातेदारी हो सकती है। किन्तु निगरानीकर्तागण द्वारा इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया, जिससे उनके इस कथन को समर्थन मिल सके। निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि दीर्घकालीन प्रविष्टियों को महज कयास के आधार पर सुधारा नहीं जा सकता है। इसका विरोध करते हुए विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि कितनी भी दीर्घकालीन प्रविष्टि अगर बिना किसी आधार के है तो उसे दुरुस्त किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में पक्षी द्वारा दिये गये तर्क एवं उ०प्र० भू-राजस्व अधिनियम 1901 के प्रावधान के अनुसार खतौनी का इन्द्राज सही ढंग से किया गया है। निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि भू-राजस्व अधिनियम 1901 के प्रावधान के अनुसार खतौनी का इन्द्राज सिद्ध माना जाता है, जब तक उसे अन्य साक्ष्यों के तहत गलत साबित न कर दिया जाय। इस प्रकार आपत्तिकर्तागण के ऊपर यह सिद्धि भार था कि वे आधार वर्ष इन्द्राज को काफी लम्बे समय पूर्व (1334 फ०) से चला आ रहा है, उसे गलत साबित करते। किन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। वर्ष की प्रविष्टि गलत साबित हो। इसके विपरीत विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्न विधि व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुए 1986 (12) ... पृष्ठ-77 (रेवेन्यू) संतबरख्श सिंह बनाम डी०डी०सी० फैजाबाद, 1986 ए०डब्लू०सी० पृष्ठ 709 चन्द्रपति बनाम गुन्नु आदि, 2008 (104) 715 नरेन्द्र बनाम सरदार सरवन सिंह, 2009 (108) आर०डी० पृष्ठ-543 मु० रमजान बनाम डी०डी०सी०, 2003 (94) आर०डी० पृष्ठ-535.... बनाम ए०डी०सी० गोरखपुर, 1984 आर०डी० पृष्ठ 133 राम प्रसाद बनाम डी०डी०सी० बलिया, 1997 (80) आर०डी० पृष्ठ-276 गुरमुख सिंह डी० सी० आदि तर्क आदि दिया गया कि, कोई भी इन्द्राज कितना भी पुराना क्यों न हो, यदि वह आधारहीन है तो ऐसी प्रविष्टि के बार बार अभिलेखों में जाने से कोई अधिकार सृजित नहीं हो जाता है। 1984 आर० डी० पृष्ठ 133 राम प्रसाद बनाम डी०डी०सी० बलिया में उल्लिखित तथ्य लगभग उसी है जैसा कि प्रस्तुत मामले में है। उक्त में भी 1334 फसली की इन्ट्री को आधारहीन मानते हुए उसे दौरान चकबन्दी अमान्य किया गया था। मामले में भी चकबन्दी व बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा गहन परीक्षण के उपरान्त 1334 फसली के इन्द्राज को आधारहीन मानते हुए अपना निर्णय पारित किया गया है। इस न्यायालय की राय में भी कोई भी इन्द्राज यदि विधिक ढंग द्वारा अनुमन्य नहीं है तथा बिना किसी पर्याप्त आधार के खतौनी का कोई इन्द्राज है तो मात्र इन्द्राज से किसी को कोई हक सृजित नहीं हो जाता है। इस मुकदमें में रामनरायन आदि आपत्तिकर्तागण का विवादित सम्पत्ति पर तनहा कब्जा है, इस सम्बन्ध में कल्याण मित्र पुत्र रामआधार मित्र उम्र 70 साल निवासी दुग्गीपुर जो एक स्वतंत्र गवाह है, उसने अपने बयान व जिरह में स्पष्ट कहा है कि विवादित भूमि पर रामनरायन आदि का तनहा कब्जा दखल के तथ्य को कहा है। इसके विपरीत निगरानीकर्तागण की तरफ से राजदेव प्रसाद पुत्र स्व० कंधैया लाल को प्रस्तुत किया गया है, जिसकी उम्र मात्र 38 वर्ष है, उसने अपने जिरह में यह कहा है कि आराजी निजाई के किसी नम्बर के अगल-बगल मेरा नम्बर नहीं है। विवादित गाटों में से एक गाटा 477 के बावत उसने बयान में कहा है कि गाटा सं० 477 में

रामनरायन आदि की पूर्व जोत है। उसका यह बयान निगरानीकर्तागण के केस के विरुद्ध है क्योंकि निगरानीकर्तागण ने खाते में अपना वैधानिक 1/3 अंश का तथ्य कहा है। इस प्रकार यह बयान भी उनके विरुद्ध जाता है। बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ने अपने निर्णय में मौजूदा निगरानीकर्तागण के रि-सेटलमेन्ट के तर्क को अस्वीकार किया है, इस हेतु इस न्यायालय में आगरा टेनेन्सी एक्ट 1926 की धारा 17 का उल्लेख करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 5 के अनुसार बिना किसी रजिस्टर्ड दस्तावेज के किसी भी दखीलकारी भूमि में दखीलकारी अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, के विधिक प्राविधान को विवेचित किया है जिससे यह न्यायालय भी सहमत है। अतः उपरोक्त समग्र तथ्यों के आधार पर इस न्यायालय का यह निश्चित मत है कि चकबन्दी अधिकारी का निर्णय दिन ता० 01-05-2010 जिसे बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा पारित निर्णय दिन ता० 23-04-2016 के जरिये पुष्ट किया गया है, में किसी प्रकार का हस्तक्षेप व परिवर्तन अपेक्षित न होने के कारण प्रस्तुत सभी निगरानीयाँ निरस्त किये जाने योग्य हैं।

13. So far as law in regard to long standing revenue entries is concerned, Court takes note of a judgment of Supreme Court in **Vishwa Vijay Bharati v. Fakhrul Hassan, 1976 (3) SCC 642** which was followed by Supreme Court in **Dharam Singh (Dead) Through Legal Representatives and others vs. Prem Singh (Dead) Through Legal Representatives, (2019) 3 SCC 530** and its relevant paragraph no. 24 is quoted below :-

"24 The High Court has dealt with the above aspect of the matter and has held that continuation of entry after the order of deletion of the name of Amar Singh cannot confer any right. The judgment of this Court in *Vishwa Vijay Bharati v. Fakhrul Hassan* [*Vishwa Vijay Bharati v. Fakhrul Hassan*, (1976) 3 SCC 642] , has rightly been referred to and relied on by the High Court. This Court in para 14 of the judgment has laid down the following: (SCC p. 645)

"14. It is true that the entries in the revenue record ought, generally, to be accepted at their face value and courts should not embark upon an appellate inquiry into their correctness. But the presumption of correctness can apply only to genuine, not forged or fraudulent, entries. The distinction may be fine but it is real. **The distinction is that one cannot challenge the correctness of what the entry in the revenue record states but the entry is open to the attack that it was made fraudulently or surreptitiously.** Fraud and forgery rob a document of all its legal effect and cannot found a claim to possessory title."

14. Above referred rival submissions and concurrent findings of three Authorities under U.P.C.H. Act has to be dealt with taking note of limited jurisdiction of writ to cause interference in concurrent findings of Authorities except being perverse. In this regard, Court takes note of a judgment passed by Supreme Court in **Krishnanand (D) through LRs and others Vs. Deputy Director of Consolidation reported in 2015 (1) SCC 553** and for reference, its paragraph 12 is quoted below :-

“12. The High Court has committed an error in reversing the findings of fact arrived at by the authorities below in coming to the conclusion that there was a partition. No doubt, the High Court did so in exercise of its jurisdiction under Article 226 of the Constitution. It is a settled law that such a jurisdiction cannot be exercised for reappreciating the evidence and arrival of findings of facts unless the authority which passed the impugned order does not have jurisdiction to render the finding or has acted in excess of its jurisdiction or the finding is patently perverse. In the present case, though the High Court reversed the concurrent findings of the authorities below and came to the opposite conclusion on matter of facts, the High Court did not do so on the ground that the authorities below acted in excess of their jurisdiction or without jurisdiction or that the finding is vitiated by perversity.”

15. Court takes note of above legal position that long revenue entries can be challenged if made surreptitiously though possibility of any fraud or forgery was neither pleaded nor mentioned in impugned orders. Reason for allowing objections filed by predecessors of respondents by all three Authorities that they failed to show any legal basis or order on which their names could be recorded suddenly after many years, though they claimed common ancestors as to respondents.

16. Court takes note that name of predecessors of petitioners were recorded including their successors for a very long period i.e. from 1309-F till objections were made as well as that name of Sumer was recorded for the first time in 1309-F not in 1334-F as observed in order of Settlement Officer of Consolidation.

17. The Kursinama filed by Ram Narayan was though accepted by all parties but it would not be sufficient to support entries since they have not based their case entirely on common ancestors as well as they are failed to explain why Ganga was recorded solely since 1291-F and after many years, name of predecessors of petitioners were recorded in 1307/1309-F without any subsequent event such as family partition if they are from common ancestors.

18. From Kursinama, it is evident that when name of only Ganga was recorded in 1291-F, there was no reference of Ram Dayal or Nanku or their successor allegedly brother of Ganga, therefore, without any basis name of Sumer was recorded in 1309-F as well as in 1334-F, name of Ramdev and Partap of petitioner's side were recorded, however no reason was recorded for such entries i.e. were made without any basis, therefore, entries which were recorded suddenly and surreptitiously can not sustain and can be expunged.

19. In aforesaid circumstances, concurrent finding of three Authorities under U.P.C.H Act cannot be interfered being not shown as perverse. An argument of re-settlement being vague was also rightly rejected by Settlement Officer of Consolidation and upheld by Deputy Director of Consolidation. The statement of Kishor was found insufficient to prove the

case of petitioners which was rejected after much deliberations by all three Authorities under U.P.C.H. Act. Nature of entries of petitioners in 1309-F was '*sikmi cultivator*' for fixed period, therefore, they can not be considered as co-tenure holder. All above factor goes against the petitioners and were the basis of all three Authorities to expunge the entries.

20. Accordingly, present writ petition is **dismissed**.

April 01, 2026

[N. Sinha]

[Saurabh Shyam Shamsbery, J.]